UPSR010013732026

न्यायालय Special Judge(SC/ST), Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Awanish Gautam), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP01682

जमानत आवेदन-पत्र संख्या- 545/2026

ननके खां उर्फ साबिर खां पुत्र सुलेमान खां निवासी लोहटी शेखापुरवा बिशुनापुर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती।

————————प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ——————————अभियोगी।

अपराध संख्या 398/2025
अन्तर्गत धारा 115 (2), 352, 351 (3) भारतीय
न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध)
व धारा 3 (2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र जमानत</u>

<u>दिनांक 10–07–2026</u>

यह जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र ई–फाइलिंग के उपरान्त इस न्यायालय को दिनांक 10–07–2026 को प्राप्त हुआ।

अभियुक्त ननके खां उर्फ साबिर की ओर से आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्त ननके खां उर्फ साबिर खां की ओर से यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 398/2025 अन्तर्गत धारा 115 (2), 352, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध) व धारा 3 (2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अभियुक्तगण ने कथन किया है कि अभियुक्त का कोई अन्य जमानत

प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय पर न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है।

वादी मुकदमा पर नोटिस जरिये वारिस तामील है परन्तु आज वह उपस्थित नहीं है और न ही उसकी तरफ से कोई स्थगन ही प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन पर विद्वान ए0डी0जी0सी0 व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जयप्रकाश ने थाने पर इन कथनों की तहरीर दिनांक 18–11–2025 समय करीब 5.30 बजे दी गयी कि वादी की अभियुक्त वादी की भाभी अनीता देवी के घर आया जाया करता था और मोबाईल से बातचीत किया करता था। दिनांक 11–11–2025 को समय करीब 12 बजे अभियुक्त मेरी भाभी के घर की तरफ से निकल रहा था तो वादी के पिता ने देख लिया और आने जाने से मना किया तो वादी के पिता को जातिसूचक गालियां देने लगा और मारने का कथन किया है।

अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अभियुक्त वादी मुकदमा के घर न तो आता जाता था और न कभी मोबाईल से बात करता था वादी मुकदमा ने मनगढ़न्त घटना बनाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया है। वादी मुकदमा व अभियुक्त के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है इसलिए वादी मुकदमा ने अभियुक्त को झूठा फंसाया है। अतः अभियुक्तगण को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाये।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में लिये गये आधारों पर तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत की याचना की गयी।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त पर आरोप है कि उन्होने घटना के दिन, समय व स्थान पर वादी मुकदमा जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, के पिता को मारापीटा, गालियां दी तथा धमकी एवं जनता के दृष्टिगोचर स्थल पर जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। दूसरी तरफ अभियुक्त का कथन है कि वादी मुकदमा व अभियुक्त के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है और इसी कारण उसने उसे झूठा फंसा दिया है। अभियोजन की तरफ से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर था उन्होने अन्तरिम जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः मामले की तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त ननके उर्फ साबिर खां द्वारा 50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे इन शर्तो के अधीन जमानत

पर निर्मुक्त किया जाता है कि वह विचारण के दौरान साक्षियों को न तो डरायेगा न धमकी देगा तथा विचारण की कार्यवाही बाधित नहीं करेगा।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
श्रावस्ती।